



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072022-237558
CG-DL-E-25072022-237558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3213]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2022/श्रावण 3, 1944

No. 3213]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2022/SHRAVANA 3, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2022

का.आ. 3374(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 30.03.2022 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 1469(अ) के अनुसार उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में जोन-एफ की जोनल विकास योजना में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उक्त सूचना की तारीख से पैंतालीस दिन (45) के भीतर आवश्यक आपत्ति/सुझाव मांगे गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे; तथा

3. जबकि केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जोन-एफ की क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा जोन-एफ की उक्त क्षेत्रीय विकास योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

एम्स के निम्नलिखित 79.73 हेक्टेयर 5 भूमि पार्सल के अंतर्गत क्षेत्र को भूमि उपयोग योजना में जोन-एफ की क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में "पुनर्विकास क्षेत्र" के रूप में चिह्नित किया जाएगा:

क.	पूर्वी अंसारी नगर परिसर:	43.54 हेक्टेयर
ख.	पश्चिम अंसारी नगर परिसर:	11.33 हेक्टेयर
ग.	मस्जिद मोठ परिसर:	12.95 हेक्टेयर
घ.	ट्रोमा सेंटर परिसर:	5.86 हेक्टेयर
ड.	ट्रोमा सेंटर एक्सटेंशन:	6.05 हेक्टेयर

[फा. सं. के- 13011/2/2022-डीडी-I]

उपेन्द्र कुमार तिवारी, अवसर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2022

S.O. 3374(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Zonal Development Plan of Zone-F, regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1469 (E) dated 30.03.2022 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections / suggestions were received with regard to the proposed modification; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Zonal Development Plan of Zone-F.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Zonal Development Plan of Zone-F with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The area under following 5 land parcels measuring 79.73 Ha. of AIIMS to be earmarked as “Redevelopment Area” on Zonal Development Plan of Zone-F in the Land Use Plan:

a.	East Ansari Nagar Campus:	43.54 Ha
b.	West Ansari Nagar Campus:	11.33 Ha
c.	Masjid Moth Campus:	12.95 Ha
d.	Trauma Centre Campus:	5.86 Ha
e.	Trauma Centre Extension:	6.05 Ha

[F. No. K- 13011/2/2022-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2022

का.आ. 3375(अ).—जबकि, केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 30.03.2022 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 1467(अ) के अनुसार उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/जोन 'एफ' की क्षेत्रीय विकास योजना में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उक्त सूचना की तारीख से तीस दिन (30) के अंदर आवश्यक आपत्ति/सुझाव मांगे गए थे।

2. अतेव, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त पांच (05) आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी कर दिया है।
3. अतेव, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/जोन-एफ की क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
4. अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021/ जोन-एफ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है। भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख ये संशोधन प्रभावी होंगे।

संशोधन:

स्थान	क्षेत्रफल	एमपीडी-2021/जोन-एफ की जेडडीपी के अनुसार भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
योजना जोन 'एफ' में पश्चिमी अंसारी नगर कैपस स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)	लगभग 1.69 हेक्टेयर (16,941 वर्ग मीटर)	'मनोरंजनात्मक' (शहरी पार्क/जिला पार्क/सामुदायिक पार्क)	सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं - पीएस -1 (शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय)	उत्तर-मौजूदा सफदरजंग अस्तपताल कैपस दक्षिण - मौजूदा श्मशान भूमि पूर्व - पश्चिमी अंसारी नगर कैपस (28 एकड़) 113312.1 वर्ग मीटर पश्चिम - एम्स ट्रामा केंद्र विस्तार

[फा. सं. के- 13011/2/2022-डीडी-1]

उपेन्द्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2022

S.O. 3375(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi 2021/ Zonal Development Plan of Zone-F, regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1467 (E) dated 30.03.2022 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty (30) days from the date of the said notice.

2. Whereas, five (05) objections / suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved in the meeting of Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone-F.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone-F with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ ZDP of Zone-F	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at West Ansari Nagar Campus in Planning Zone-‘F’	About 1.69 Ha (16,941 sq.m)	‘Recreational’ (City Park/ District Park/ Community Park)	Public and Semipublic facilities – PS1 (Education and Research University)	North: Existing Safdarjung Hospital Campus South: Existing cremation ground East: West Ansari Nagar Campus (28 Acres) 113312.1 sq.m West: AIIMS Trauma Centre Extension

[F. No. K- 13011/2/2022-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.